

Passport Renunciation / Surrender Certificate

दस्तावेज प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारतीय पासपोर्ट समर्पण और परित्याग-प्रमाणपत्र (renunciation certificate) आवश्यक है — जुर्माना लागू होगा या नहीं यह समय-नियम तय करते हैं। यह टूल समय-विश्लेषण, दस्तावेज व घोषणा तैयार करता है; यह OCI से पहले/साथ अनिवार्य कदम है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

नैचुरलाइजेशन व समर्पण के बीच देरी के आधार पर जुर्माना-स्थिति तय कर, समर्पण आवेदन व घोषणा तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

समय-विश्लेषण, दस्तावेज-सूची व घोषणा-सामग्री का उपयोग समर्पण आवेदन दाखिल कर परित्याग/समर्पण प्रमाणपत्र लेने, और उस प्रमाणपत्र का उपयोग सामान्यतः उसके बाद वाले OCI आवेदन हेतु करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

विदेश स्थित भारतीय मिशन या भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (Passport Seva के माध्यम से), विदेश मंत्रालय के अधीन।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

समर्पण आवेदन भारतीय पासपोर्ट, विदेशी पासपोर्ट/नैचुरलाइजेशन प्रमाणपत्र और घोषणा सहित दाखिल करें; कार्यालय पासपोर्ट रद्द कर समर्पण/परित्याग प्रमाणपत्र जारी करता है।

शुल्क और खर्च

समर्पण-प्रमाणपत्र शुल्क, तथा समर्पण में देरी या विदेशी नागरिकता के बाद भारतीय पासपोर्ट के उपयोग पर जुर्माना।

इसकी जाँच किससे कराएँ

OCI/आप्रवासन सलाहकार, जहाँ जुर्माना या विलंबित समर्पण शामिल हो; समयबद्ध समर्पण सरल है।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

जुर्माना नैचुरलाइजेशन से देरी और उसके बाद भारतीय पासपोर्ट के उपयोग पर निर्भर, अतः शीघ्र दाखिल करें; समर्पण/परित्याग प्रमाणपत्र प्रायः OCI हेतु पूर्व-शर्त। मिशन/PSK से सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।